रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 255] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 23, 2015/वैशाख 3, 1937
No. 255] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 2015/VAISAKHA 3, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2015

सा.का.नि. 316 (अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 50 और धारा 41 के साथ पठित धारा 27, धारा 64, धारा 110 और धारा 137 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित कतिपय प्रारूप नियम को उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम पर उस तारीख से 30 दिन की अवधि समाप्त होने पर विचार किया जाएगा जिस तारीख को इस अधिसूचना को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई है, जनता को उपलब्ध थी ;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के भीतर प्राप्त किया जाए ;

आक्षेपों या सुझावों को, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद् मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजा जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (.....संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में, नियम 125ङ के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

"125 च. सड़क अस्पताल गाड़ी के यान प्रवर्ग एम और प्रवर्ग एल का टाइप अनुमोदन पहली अप्रैल, 2015 या उसके पश्चात् तत्संबंधी बी आई एस विनिर्देशन को जब तक भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन अधिसूचित नहीं किया जाता

है, समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस:125-2003 (एआईएस:125-2003 के खंड 6.0 को छोड़कर) के अनुसार उसमें विनिर्दिष्ट सभी प्रकार के अस्ताल गाड़ी के लिए सड़क अस्पताल गाड़ी के यान प्रवर्ग एम और प्रवर्ग एल का परीक्षण और अनुमोदन किया जाएगा ।"।

[फा.सं.आरटी-11028/10/2013-एमवीएल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 225 (अ), तारीख 26 अप्रैल, 2015 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 2015

G.S.R. 316(E).—The following draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 27, 41, 50 and 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in Gazette of India, are made available to the public;

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

3. Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi- 110001.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2015.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989 (hereinafter referred to as the principal rules), after Rule 125E, the following rule shall be inserted, namely: —

"125F. Type Approval of Road Ambulances of Vehicle Categories M and L

On and after the 1st day of April, 2015, testing and approval of M and L categories of Road Ambulances shall be in accordance with AIS:125-2003 (except for clause 6.0 of AIS:125-2003) as amended from time to time, for all types of ambulances specified therein, till the corresponding BIS specification are notified under Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).

[F. No. RT-11028/10/2013-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* G.S.R. 225 (E), dated 26.03.2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.